

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/अपील/उज्जैन/स्टा.अधि./2018/710

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-1-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 618/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 28-12-2017 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जायेगा) के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम हरियाखेडी प0ह0नं0 65 तहसील व जिला उज्जैन स्थित भूमि सर्वे नं0 9/1 मिन रकबा 0.016, सर्वे नं0 10/4 रकबा 0.157 एवं सर्वे नंबर 12/2 रकबा 0.94 कुल किता 03 कुल रकबा 0.267 हैक्टर को 4,54,000/- रुपये में प्रत्यर्थी क्रमांक 2 भगवानासिंह से क्रय कर विक्रय विलेख दिनांक 21-6-12 को निष्पादित कर पंजीयन हेतु उप पंजीयक के समक्ष पेश किया गया। उप पंजीयक ने उक्त विलेख स्टाम्प एक्ट की धारा 47-क(1) के तहत संदर्भित करते हुए संपत्ति का मूल्य मार्गदर्शिका अनुसार 23,68,900/- दर्शाते हुए बाजार मूल्य अवधारण हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को भेजा गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा उप पंजीयक के प्रतिवेदन के आधार पर स्टाम्प एक्ट की धारा 47 (क) (3) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं आदेश दिनांक 26-2-14 द्वारा संपत्ति का मूल्य 21,32,000/- अवधारित करते हुए शेष मुद्रांक शुल्क रुपये 1,21,570/- अपीलार्थी को जमा करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की गई है। अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।</p> <p>3/ अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील मेमो में</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>दिए गए तर्कों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रश्नाधीन भूमि छिप्रा नदी से 200 मीटर के अंदर होकर डूब क्षेत्र में स्थित है, जिस पर निर्माण व विकास प्रतिबंधित है। यह भी कहा गया कि भूमि उबड़-खाबड़ है, मुख्य सड़क पर स्थित नहीं है। वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं पटवारी के कथन से स्पष्ट है कि भूमि उबड़ खाबड़ होकर, ढालू है, जिससे भूमि की उर्वरकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का मूल्य सामान्य भूमि के समतुल्य मानकर नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया कि गाईड लाइन 2013-14 के अनुसार भी उज्जैन विकास योजना 2012 में नदी के दोनों किनारों से 200 मीटर गहराई तक हरित क्षेत्र में स्थित भूमि को, भूखंड हेतु उपबंध की कंडिका 4.2 लागू नहीं होगी। भूमि की उक्त स्थिति का उल्लेख कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने अपने आदेश में भी किया है परंतु इसके उपरांत भी उन्होंने विक्रय विलेख में उल्लिखित मूल्य को मान्य न करते हुए उप पंजीयक द्वारा अनुमानित बाजार मूल्य में दस प्रतिशत की कमी करते हुए बाजार मूल्य का निर्धारण करने में त्रुटि की गई है, इस कारण उनका आदेश निरस्ती योग्य है। अपर आयुक्त ने भी उक्त तथ्यों को अनदेखा किया जाकर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश की पुष्टि की है इसलिए उनका आदेश भी निरस्ती योग्य है।</p> <p>यह तर्क दिया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने म0प्र0 लिखतों के न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 के नियम 4 व नियम 5 में दिए गए प्रावधान अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है, इस कारण भी उनका आदेश निरस्ती योग्य है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टांत 1994 आर0एन0 326 लारसन एंड टूब्रो लि0 तथा एक अन्य विरुद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य एवं 2004 (1) एम0पी0एल0जे0 285 म0प्र0 राज्य एवं अन्य को उद्धरित करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>4/ प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को त्रुटिपूर्ण बताया गया ।</p> <p>5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने अपने आदेश में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पटवारी के कथनों के आधार पर यह माना है कि अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि ढालू है, पडत पडी है, नदी के किनारे के ढलान पर होकर नदी से लगी होने से नदी का पानी भर जाता है, जिससे भूमि की उर्वरकता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश औचित्यपूर्ण एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है । मूल्यांकन निवारण नियम 5 (ग) के अंतर्गत किसी संपत्ति के बाजार मूल्य की गणना उसकी दशा, संरचना, निर्मित क्षेत्र, अवक्षयण की दर, दरों में उतार-चढाव एवं स्थिति को ध्यान में रखकर किये जाने का प्रावधान है । इस प्रकार कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा बाजार मूल्य निर्धारण करने में मूल्यांकन निवारण नियम 5 के प्रावधान का पालन भी नहीं किया गया है । इस संबंध में 1994 आर0एन0 326 लारसन एंड टूब्रो लि0 तथा एक अन्य विरुद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-</p> <p>"स्टाम्प अधिनियम, 1899 - धारा -47 क - व्यापित -कलेक्टर द्वारा भूमि के बारे में जारी की गई मार्गदर्शिका - ऐसी मार्गदर्शिका को रजिस्ट्रीकरण और बाजार मूल्य के प्रयोजनों के</p>	




स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>लिए आधार नहीं बनाया जा सकता - उपर्युक्त अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना चाहिए ।"</p> <p>इसी प्रकार 2004(1) एम0पी0एल0जे0 285 म0प्र0 राज्य एवं अन्य विरुद्ध पी0बी0 मेनन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-</p> <p>"धारा 47-क - संपत्ति का बाजार मूल्य मूल्य अवधारण करने के लिए मूल्य, मूल्यांकन रजिस्टर को आधार नहीं बनाया जा सकता है ।"</p> <p>प्रकरण के तथ्यों एवं उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह पाया जाता है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य अवधारित करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अतः उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतया अनदेखा कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के अवैधानिक आदेश की पुष्टि की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश भी निरस्ती योग्य है ।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-12-17 एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-2-14 निरस्त किए जाते हैं तथा यह अपील स्वीकार की जाकर विक्रयपत्र में दर्शाया गया बाजार मूल्य मान्य किया जाता है ।</p>	<p style="text-align: center;">  (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर </p>